संख्या:36/2025/1294/ई-2/तेरह-2025-399616

प्रेषक,

दुर्गा सिंह

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 नवम्बर, 2025

विषयः-मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि0, अलीगढ़ आसवनी इकाई में स्थापित ग्रेन प्लान्ट नम्बर-2 की निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता 60 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 70 के0एल0पी0डी0 प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 245 लाख लीटर वार्षिक, कुल क्षमता 630 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 665 लाख लीटर वार्षिक, जिसके अन्तर्गत पेय क्षमता 598.5 लाख लीटर (90 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षमता 66.5 लाख लीटर (10 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-56/दो-प्रा.डी.-101/वेव डिस्ट., अलीगढ़, दिनांक 09-10-2025 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 17-11-2025 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1239ई-2/तेरह-2025-399616, दिनांक 21-11-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09-10-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि0, अलीगढ़ आसवनी इकाई में स्थापित ग्रेन प्लान्ट नम्बर-2 की निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता 60 के.एल.पी.डी. प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 70 के0एल0पी0डी0 प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 245 लाख लीटर वार्षिक, कुल क्षमता 630 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 665 लाख लीटर वार्षिक, जिसके अन्तर्गत पेय क्षमता 598.5 लाख लीटर (90 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षमता 66.5 लाख लीटर (10 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी/इकाई द्वारा शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) आसवक से बढ़ी हुयी क्षमता पर अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा आबकारी विभाग एवं अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) भविष्य में प्रश्नगत प्लान्ट की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) तीन माह तक प्रत्येक सी0ओ0टी0 के वाश के नमूनों का परीक्षण क्षेत्रीय प्रयोगशाला में कराया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वाश में 14 प्रतिशत अल्कोहल उत्पन्न हो रहा है। अन्यथा की दशा में आसवनी पर पेनाल्टी आरोपित की जायेगी।

(6) इकाई द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 20-12-2023 द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ से प्राप्त Consent to Operate जल एवं वायु का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनाँक 20.12.2023 द्वारा 70 कि०ली० प्रतिदिन आर०एस०/ई०एन०ए०/अब्सोल्यूट अल्कोहल से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(8) ग्रेन से एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(9) आसवक द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.11.2022 एवं 21.12.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) शासनादेश दिनाँक 06.02.2025 द्वारा निर्गत आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.15 के उप प्रस्तर-5.15.1 (42) के अन्तर्गत आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी.डी.-32 में आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा. ओ.ई.एम. (Original Equipment Manufacture) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एव मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा शपथ पत्र के माध्यम से करनी होगी। इस प्रकार घोषित दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता आसवनी की स्थापना के समय स्थापित किये जा रहे उपकरणों में तकनीकी उन्नयन अथवा उत्पादन तकनीक में उन्नयन के अलावा अपरिवर्तनीय होगी एवं उपरोक्तानुसार अधिकतम दैनिक उत्पादन क्षमता व संचालन दिवसों और प्रदूषण नियत्रण विभाग द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित करते हुये इस पर अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता विस्तार हेतु लगाये जाने वाले नये उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी उपरोक्तानुसार किया जाना अनुमन्य होगा। तकनीकी निरीक्षण के समय यदि ओ.ई. एम. तथा आसवक द्वारा मशीनरी की क्षमता के बारे में की गयी घोषणा से सबंधित शपथ पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आसवक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं ओ.ई.एम के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से स्थापित आसवनियों के लिए भी अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारण उपरोक्तानुसार ही करते हुए अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा परन्तु यह सुविधा मात्र एक बार ही प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा। ऐसे आवेदनों के परीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रतिष्ठापरक तकनीकी संस्थान के सदस्य भी रखे जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आबकारी मैनुअल खण्ड-5 (तकनीकी मैनुअल) के प्राविधानों का उल्लंघन न हो। किसी भी आसवनी की पूर्व निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता में किसी भी परिस्थिति में कमी किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(11) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(13) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(14) इकाई द्वारा प्लांट में फीड भरने वाले स्थान तथा आवसनी के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(15) इकाई द्वारा ग्रेन साइलों में अनाज संचित करने के लिये बकेट एलीवेटर पर सामान्य रूप से दृश्य स्थान पर ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार ग्रेन साइलो से प्लान्ट में अनाज ले जाने वाली कन्वेयर पर भी ग्लास प्लेट स्थापित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार के अनाज का भण्डारण/अंतरण किया जा रहा है।

(16) ऊपरलिखित शर्तों के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई/आसवनी को निर्गत लाइसेंस में अध्यासी/आसवनी मालिक का नाम Registrar of Companies (ROC) में पंजीकृत अभिलेखों के अनुरूप हो। इस हेतु ROC स्तर से जारी अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। शेयर होल्डर्स के डिटेल्स भी अभिलेखों में सुरक्षित रखे जायेंगे।

(17) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(19) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इकाई द्वारा इस संबंध में सुसंगत शासनादेशों/नीतिगत प्राविधानों का उल्लंघन न किया गया हो।

(20) ऊपरलिखित शर्तों के अतिरिक्त आसवक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जो भी फीड स्टॉक आसवनी द्वारा प्रयुक्त किया जाये, उसकी रिकवरी वैज्ञानिक रूप से सत्यापित हो व समय-समय पर आबकारी आयुक्त स्तर से इसका परीक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा। अनुमति निर्गत किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी मालिक द्वारा स्वयं के अधीन किसी भी इकाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी सुविधा का दुरूपयोग न किया गया हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः36/2025/1294(1)ई-2/तेरह-2025,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in